

**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 22932

दिनांक 12 मई, 2020

**:: आदेश ::**

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावना के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय स्तर से वृहद स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं, साथ ही भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपखण्ड क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा एवं जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी हैं।

इस कार्यालय में मैसर्स साई मार्बल एण्ड टाईल्स द्वारा कृषि उपकरणों एवं कृषि फिटिंग को ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन/विक्रय हेतु की अनुमति चाही गई है। ईकाई को नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में राज्य सरकार से जारी निर्देश एवं चिकित्सकीय एडवाइजरी एवं प्रोटोकॉल की पालना करने पर उक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

1. प्रत्येक व्यक्तियों यथा संचालक/स्टाफ, का कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
2. Social Distance की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उक्त प्रतिष्ठानों पर कार्यरत संचालक/स्टॉफ कर्मियों को फेस मॉस्क/सेनेटाईजर का उपयोग/लगाना तथा अनिवार्य होगा।
4. प्रतिष्ठान प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त परिसर को विसंक्रमित करना अनिवार्य होगा। आम सतहों की बार-बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई की जानी होगी एवं इसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
5. इकाईयों द्वारा विक्रय ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा।
6. उक्त व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कम से कम रखी जाना सुनिश्चित करे।
7. उक्त अनुमति के दौरान कार्य करने वाले व्यक्तियों को खांसी/जुकाम/बुखार व अन्य किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर तत्काल कार्यस्थल से हटाया जाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से स्क्रीनिंग करवाई जाकर मेडिकल प्रोटोकॉल को फोलो किया जावेगा।
8. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवाइजरी एवं जिला स्तर से लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा सभी कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्य किये जाने की अनुमति होगी।
10. गुटखा तम्बाकू के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध है। गुटखा तम्बाकू का विक्रय /सेवन/थूंकने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। इस संबंध में व्यावसायिक परिसर पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सूचना प्रदर्शित करनी होगी।
11. सभी कार्यरत प्रबंधक/संचालक/स्टॉफ कर्मियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा।



12. उक्त प्रतिष्ठानों पर कार्य हेतु भीलवाड़ा जिले के बाहर से श्रमिकों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।
13. कॉविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एनक्सर I - II में दी गई मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपायों का उल्लंघन करने पर एवं उक्त शर्तों/प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं एवं "The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957 एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
02. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जारी एडवाइजरी अनुसार उक्त प्रदत्त छूट के कम में समुचित निगरानी रखने हेतु प्रेषित है।
05. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
06. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
07. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
08. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
09. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा।
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा/समस्त अधिशाही अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
12. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
13. संबंधित इकाई मैसर्स साईं मार्बल एण्ड टाईल्स
14. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा